



Neutral Citation No. - 2026:AHC:30009

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 4034 वर्ष 2026

झंडू राम और 4 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : कृष्ण कन्हैया सोनी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), मुरादाबाद द्वारा मूल वाद संख्या 421 वर्ष 1991 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन में, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु प्रत्यर्थी संख्या 2/ जिलाधिकारी, मुरादाबाद के समक्ष दिनांक 26.12.2025 को एक आवेदन दिया था। यह तर्क दिया गया है कि काफी समय बीत चुका है लेकिन आज तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
2. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त आवेदन के माध्यम से याचिकाकर्ता सिविल कोर्ट के आदेश का निष्पादन कराना चाहता है, जबकि उचित उपचार संबंधित न्यायालय के समक्ष उपरोक्त आदेश के निष्पादन हेतु उचित आवेदन दायर करना है।
3. मामले के इस दृष्टिकोण में, याचिकाकर्ता को कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती है, रिट याचिका खारिज की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

11 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"